APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
केम्प कोर्ट बोरखेडा

सुखदेव पिता हुक्मा तेली
निवासी– सनोदिया

बनाम लादू पिता नन्दा तेली वगैरा
निवासी– सन्तोषपुरा

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 53, 88 रा.टी. ए. प्रकरण संख्या– 14/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.06.2018	प्रत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट बोरखेडा पर पेश हुई, वादी सुखदेव व काना उपस्थित । प्रतिवादी लादू , घीसा, मेघा, भैरु , लहरी , हॉसी, रुपी, राजी उपस्थित हुये। उपस्थित वादीगण के द्वारा कथन किया गया कि आराजीयात हमारी सामलाती खातेदारी की आराजीयात है , जिसमें हम वादीगण का आधा हिस्सा है , और आधा हिस्सा लादू , घीसा , मेघा, भैरु वगैरा का है । जमीन शामिल में होने से बोने, जोने में परेशानी होती है , इसलिये हम वादीगण भूमि का बटवारा करना चाहते है । उपस्थित प्रतिवादीगण ने भी हक हिस्से व कब्जे के अनुसार भूमि विभाजन किये जाने में कोई आपति नही होना जाहिर किया है । मैने उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्नानुसार रहा है । वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 मौजा सन्तोषपुरा पटवार हल्का बारखेडा तहसील हुरडा के अनुसार आराजी नं.– 1146 रकबा 06 बीघा 15 बिस्वा भूमि हगामी जोजे नन्दा हिस्सा 1/2, काना, नानू, सुखदेव पिता हुक्मा 1/2, तेली सा. देह , के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा नामान्तरण संख्या– 17 विरासत से हगामी के बजाय लादू , घीसा, मेघा, काना, भैरु, पिता नन्दा , लहरी, हॉसी, रुपी, राजी पुत्रिया नन्दा तेली का नाम दर्ज रिकार्ड आना प्रकट आया है । यहॉ वादीगण का कथन है कि आराजीयात संयुक्त खातेदारी की होने से फसल काश्त करनें, फसल काटनें, तथा लगान जमा करानें में काफी परेशानी आती है । इसलिये आराजीयात का माफिक हक हिस्से व कब्जे अनुसार विभाजन कराना चाहा है । प्रतिवादीगण के द्वारा भी हक हिस्से व कब्जे के अनुसार विभाजन किये जाने में कोई आपति जाहिर नही करने से दावा वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने योग्य है ।	

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

::–निर्णय::–

दावा वादी प्राथमिक डिकी किया जाकर मौजा सन्तोषपुरा पटवार हल्का बोरखेडा तहसील हुरडा की आराजी नं.– 1146 रकबा 06 बीघा 15 बिस्वा भूमि के खातेदान काश्तकारान के मध्य उनके हक हिस्से व कब्जे के अनुसार भूमि व लगान विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार हुरडा को निर्देश दिये जाते है कि वह आज ही भूमि व लगान का विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय लगान फाटनी प्रस्तुत करें । निर्णय आज 08.06.2018 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट बोरखेडा पर सुनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

08.06.2018

तहसीलदार हुरडा के द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर जरिये पत्र कमांक राजस्व /2018/10 दिनांक 08.06.2018 प्रस्तुत किया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

1– काना , नानू, सुखदेव, पिता हुक्मा तेली सा0 सनोदिया के हिस्से में रहन बी.आर.जी.बी. कॅवलियास हिस्सा काना , सुखदेव का –

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
सन्तोषपुरा	1146	03 बीघा 07 बिस्वा	6.65
कुल किता 1		03 बीघा 07 बिस्वा	

2– लादू, घीसा, मेघा, काना, भैरु, पिता नन्दा , लहरी हॉसी, रुपी, राजी पुत्री नन्दा तेली सा0 देह के हिस्से में –

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
सन्तोषपुरा	1146/1	03 बीघा 07 बिस्वा	6.65
कुल किता 1		03 बीघा 07 बिस्वा	

3– निम्न आराजी शामिल में रहेगी :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
सन्तोषपुरा	1146/2	00 बीघा 01 बिस्वा	0.10
कुल किता – 1		00 बीघा 01 बिस्वा	

उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष को सुना गया । उपस्थित उभयपक्ष के द्वारा तहसीलदार हुरडा से उक्त प्राप्तुसदा विभाजन प्रस्ताव को सही होकर स्वीकार किया जाना जाहिर किया है ।

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मैने भी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। तदनुसार तहसीलदार हुरड़ा से उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तथा इसी अनुरूप प्रकरण मे अंतिम डिक्री पर्चा तैयार किये जाने के आदेश दिये जाते है । तदनुसार अन्तिम डिक्री पर्चा तैयार किया जावें पत्रावली सुमार फेसल होकर दाखिल दफतर करें । आदेश आज दिनांक 08.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट बारेखेडा पर सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner